कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।

संख्या 3860 /ओएसडी–डीएम–कानपुर नगर/2020/कोविड–19 दिनांक : 23–06–2020

आदेश

मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने परिपत्र संख्या–1317/पांच–5–2020 चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2020 के माध्यम से कोविड–19 से बचाव हेतु सभी विभागों के समस्त स्तरों (महा निदेशालय/निदेशालय/मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालय/ब्लाक स्तरीय कार्यालय) के कार्यालयों सम्बद्ध या सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों में, जहां अधिक संख्या में नागरिक नियमित सेवाओं के लिए आते हैं, में "कोविड हेल्प डेस्क" स्थापित किये जाने तथा इस कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं कियान्वयन के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के ऐसे कार्यालयों में, जहां काफी संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना–जाना होता हो, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा तथा कोविड हेल्प डेस्क पर संलग्न पोस्टर (संलग्नक–1 एवं 2) लगाया जायेगा।
2. कोविड हेल्प डेस्क पर एक कर्मचारी की रोस्टर के आधार पर दो सप्ताह के लिए तैनाती की जायेगी। दो सप्ताह की अवधि पूर्ण होने पर दूसरे कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। हेल्प डेस्क पर तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों को कोविड–19 के लिए अपेक्षित सामान्य जानकारी (संलग्नक–3) से भिज्ञा किया जायेगा।
3. कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से मॉस्क एवं ग्लब्स पहना जाएगा तथा आगंतुकों से सम्पर्क करते समय न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी।
4. कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा। लक्षणात्मक लोगों के ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से की जाएगी। इस हेतु संबंधित कर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसकी रीडिंग 94 प्रतिशत से कम आने पर प्रकरण मुख्य चिकित्साधिकारी/निकटस्थ सी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय को सन्दर्भित किया जाएगा। प्रत्येक प्रयोग के पश्चात पल्स ऑक्सीमीटर को हाइड्रोजन पराक्साइड से विसंक्रमित किया जाएगा।
5. कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
6. कार्यालयाध्यक्ष एवं कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यालय परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों को प्रयोग न किया जाए।
7. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई कर्मचारी खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश से पीड़ित है तो ऐसा कर्मचारी ड्यूटी पर न आए।
8. कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग **नम्बर–0512–2333810** पर अथवा जिला के केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम के **नम्बर 1800 180 5159** पर दी जाय।

अतः सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपने कार्यालयों में "कोविड हेल्प डेस्क" की स्थापना तत्काल कराकर उपरोक्तानुसार कर्मचारियों की तैनाती का साप्ताहिक रोस्टर बनाकर उन्हें कोविड हेल्प डेस्क के विषय में भिज्ञ करते हुए तैनाती आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें। साथ ही तैनात किये गये कर्मचारियों के मोबाइल नम्बर अधोहस्ताक्षरी के उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अपने कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की भी उपलब्धता सुनिश्चित करा लें तथा शासन के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करावें। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
3–पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
4–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीएसआईडीसी/नोडल अधिकारी, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।
5–बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
6–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
7–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
8–समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।
9–मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रधानाचार्य, जीएसवीएम, मेडिकल कालेज, कानपुर।
10–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट
11–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
12–उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर।
13–उपायुक्त, जी0एस0टी0 कानपुर नगर।
14–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कानपुर नगर।
15–उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर।
16–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 कानपुर नगर।
17–समस्त कार्यालयाध्यक्ष।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

संलग्नक - 1

कोरोना

जंग अभी जारी है

लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है

स्वस्थ व्यवहार अपनायें, जीवन सुरक्षित बनायें

- भीड़ में जाने पर दो गज की दूरी बनाये रखें।
- बार-बार हाथ साबुन-पानी से धोये।
- सार्वजनिक स्थल पर मुँह व नाक को ढ़के।
- लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

कोरोना संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0

1800-180-5145

अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें

नोवल CORONA का ना

संलग्नक – 2

कोविड हेल्प डेस्क

दो गज़ की दूरी, मास्क है जरूरी

सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन करें

फेस कवर/
मास्क लगाएं

सैनेटाइजर/साबुन
से हाथ धोएं

आरोग्य सेतु एवं
आयुष सुरक्षा कवच एप
का प्रयोग करें

कोविड संबंधी
जानकारी
हेतु संपर्क करें

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. **1800-180-5145**

कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय	: 0000000000
कंट्रोल रूम मुख्य चिकित्सा अधिकारी	: 0000000000
जिला सर्विलांस अधिकारी	: 0000000000

संलग्नक–3

कोविड हेल्प डेस्क हेतु सामान्य जानकारी

1. कोविड हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी को सदैव मॉस्क पहनना चाहिए तथा अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों से दो गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
2. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को सैनीटाइज कराया जाएगा।
3. खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश आदि से पीड़ित व्यक्ति कोविड के संदिग्ध रोगी हो सकते हैं। अन्य उच्च कोविड संक्रमित राज्यों से आए व्यक्ति भी संदिग्ध रोगी हो सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर **1800–180–5145** पर दिया जाएगा।
4. कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छीकने अथवा संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक सम्पर्क, संक्रमित वस्तुओं को छूने या भीड़ में रहने से कोरोना का संक्रमण प्रसारित हो सकता है। अतः इससे बचने के लिए मॉस्क पहनना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों से दो गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। हाथों को बार–बार साबनु पानी से कम से कम 30 सेकेण्ड तक धोना चाहिए। भीड़–भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना चाहिए।
5. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा सभी कर्मचारियों/आगंतुकों को आरोग्य–सेतु एप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
6. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा कार्यालय परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को रोकने हेतु सार्थक प्रयास किया जाएगा।
7. कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सावधानियॉ अपनाते हुए कोरोना से बचा जा सकता है।